परिशिष्ठ

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, शाहपुरा (जयपुर)

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

पट्टा संख्या......663...... पत्रावली संख्या...02/07-4-2017

यह विलेख आज वर्ष 2017 के माह...अप्रैल...के...26...के दिन नगर पालिका मण्डल शाहपुरा। प्रथम पक्ष एवं **सुखी जीवन बिल्डकॉन एल.एल.पी. जरिये पार्टनर श्री किशोर कुमार मीणा** (जिनको इसके बाद में लीज धारक सबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, पबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होगें) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पटट्ा धारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार करली गई है, और इसमे उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना **सुखी जीवन राजस्व ग्राम बिदारा** तहसील **शाहपुरा** के खसरा संख्या **890** रकबा **1.42 हैक्टेयर** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शे में लाल रंग मे दिखाया गया है। और जिसे पूर्ण रूप स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधो, बन्धनो, शर्त और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार मे रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय मे या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय समय पर इस हेतु नियत कर दे प्रत्येक वर्ष के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमो के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **1,26,757/–रूपये** अंके **एक लाख छब्बीस हजार सात सौ सत्तावन रूपये** अग्रिम 8 वर्ष का अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे, तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमे राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर जमा करानी होगी। और इस प्रकार जमा कराई गई नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पटट्े की अवधि :– पटट्ाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन,(मुख्यमंत्री जन आवास योजना फ्लेट्स निर्माण बाबत) जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमो के अन्तर्गत अनुमति दी गई है के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पटट्ा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पटट्े पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पटट्ेदार पर इस प्रकार लागू होगें मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा कर दिया गया है या अन्तरित किया गया है।
   लीजधारक द्वारा उप–पटट्े की कालावधि स्वंय द्वारा अवधारित की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में मूल पटट्े की कालावधि से अधिक नही होगी। उप–पटट्े उक्त नियमो में विहित समस्त अन्य निबंधनो और शर्तो या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येक अन्तरण के आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलो में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमारित नहीकी जायेगी।
8. उक्त नियमो के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेया प्रिमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगी।

लगातार.............2

अध्यक्ष
नगर पालिका, शाहपुरा (जयपुर)

26/4/17
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका,शाहपुरा (जयपुर)

Presentation Endorsement

आज दिनांक 26 माह 07 सन् 2017 को 01:50 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUKHI JEEVAN BULDCON LLP\ KISHOR KUMAR MEENA पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURJARAM MEENA
उम्र 34 वर्ष, जाति MEENA , व्यवसाय Business
निवासी House No.:0, Colony: NA, Area: SOBHASAR, City: SUJANGARH, Pin code: 331507, District: CHURU, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

201701075002920

हस्ताक्षर उप पंजीयक, SHAHPURA

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented after 2 months but before 4 months (Male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201702075002112
दिनांक	26-07-2017
पंजीयन शुल्क ₹	3170
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	15860
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	3180
कुल योग	22510

201701075002920

उप पंजीयक, SHAHPURA

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented after 2 months but before 4 months (Male)

9. यदि आवंटन या पटट्ा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पटट्ा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन मे कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यव्शन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पटट्ा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है, तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सनिर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय मे निहित समझे जायेगें और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नही होगा।

10. इस पटट्ा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

नोट :1. भूखण्ड की आवासीय 8 वर्ष की लीज शुल्क 10,44,900/–रूपये (अक्षरे दस लाख चव्वालीस हजार नौ सौ रूपये) होती है। उक्त राशि बुक एण्ड रसीद संख्या 98/462 दिनांक 25.04.2017 के द्वारा पालिका कोष मे जमा की गयी है।

2. बाह्य विकास कार्य जैसे–सम्पर्क सड़क, पावर लाईन, पानी एवं सिवरेज लाईन विकासकर्ता द्वारा स्वंय के स्तर पर करने होगें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : **शाहपुरा**
राजस्व ग्राम : **बिदारा**

सीमा :–
पूर्व मे– अन्य की भूमि
पश्चिम मे–अन्य की भूमि
उत्तर मे–60 फीट प्रस्तावित रास्ता
दक्षिण मे –अन्य की भूमि

खसरा नम्बर : **890** रकबा **15844.60 वर्गगज**
योजना का नाम – **सुखी जीवन**

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानो और तारीखो पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन 2017 के माह अप्रैल के 26 वें दिन

श्री अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष नगर पालिका शाहपुरा (जयपुर) ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये–

साक्षी –

अध्यक्ष
नगर पालिका शाहपुरा (जयपुर)

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका शाहपुरा (जयपुर)

1. नाम–कृष्ण कुमार पारासर (व0लि0)
   पुत्र स्व0 श्री पूरण मल शर्मा
   व्यवसाय–राज्य सेवा
   निवास स्थान–शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

साक्षी

आज दिनांक 2017 के माह अप्रैल के 26 वें दिन

को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त **सुखी जीवन बिल्डकॉन एल.एल.पी. जरिये पार्टनर श्री किशोर कुमार मीणा**

लीज धारक–द्वितीय

लीजधारक द्वारा कार्यालय नगर पालिका शाहपुरा में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी :–

1. नाम–सोहन लाल वर्मा
   पुत्र श्री कालू राम
   व्यवसाय–निजी व्यवसाय
   निवास स्थान–शाहपुरा जिला जयपुर

साक्षी

2. नाम– रोहित शर्मा
   पुत्री श्री कैलाश चन्द शर्मा
   व्यवसाय–राज्य सेवा
   निवास स्थान–जयपुर जिला जयपुर

साक्षी

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री SUKHI JEEVAN BULDCON LLP\ KISHOR KUMAR MEENA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURJARAM MEENA, व्यवसाय Businessजाति MEENA House No.:0, Colony: NA, Area: SOBHASAR, City: SUJANGARH, Pin code: 331507, District: CHURU, State: RAJASTHAN	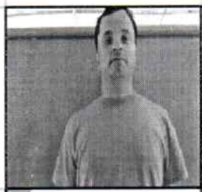		Presenter Age : 34 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री E.O. NAGARPALIKA SHAHPURA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री E.O., व्यवसाय जाति Nagar Palika			Claimant Age : 0 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented after 2 months but before 4 months (Male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रू 253514/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 253514/- पूर्व में -------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री SADHURAM, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MURLIDHAR जाति AHIR Age: 48 Add: House No.:0, Colony: NA, Area: BIDARA, City: SHAHPURA, Pin code: 303103, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN	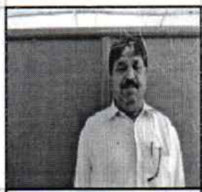		Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री GORISHANKAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री KALYAN SAHAY जाति MALI Age: 36 Add: House No.:0, Colony: SHANKAR COLONY, Area: SHAHPURA, City: SHAHPURA, Pin code: 303103, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN	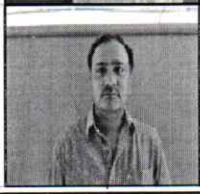		Signature

201701075002920

उप पंजीयक, SHAHPURA

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented after 2 months but before 4 months (Male)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत
स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार
कुल योग... 14
ह० स्टाम्प वेण्डर

10 APR 2017

राजस्थान RAJASTHAN

E 974365

स्टाम्प संख्या 686 दिनांक 26/4/17

पटटा संख्या 663 प०सं० 02/7-4-2017

के साथ संलग्न है।

अध्यक्ष
नगर पालिका,शाहपुरा (जयपुर)

26/4/17
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका,शाहपुरा (जयपुर)

1. साधुराम यादव आयु 48 वर्ष
S/o श्री [illegible] यादव जाति-अहीर
निवासी - बिचारा तह.-शाहपुरा
गौरीशंकर सैनी

2. गौरीशंकर सैनी आयु 36 वर्ष
S/o कल्याण सहाय जाति - माली
निवासी - वार्ड नं. 11 शंकर कॉलोनी
शाहपुरा तह -शाहपुरा

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 253514 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 15860 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 3170, सरचार्ज राशि 3180 कुल रू 22210 रसीद संख्या 201702075002112 दिनांक 26-07-2017 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रू 15860 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201701075002920 — उप पंजीयक, SHAHPURA

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented after 2 months but before 4 months (Male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 26/07/2017 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 274 में
पृष्ठ संख्या 30 क्रम संख्या 201703075101711 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1044 के
पृष्ठ संख्या 162 से 169 पर चस्पा किया गया।

201701075002920 — उप पंजीयक, SHAHPURA

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented after 2 months but before 4 months (Male)

कार्यालय : नगर पालिका शाहपुरा (जयपुर)
प्रमाण–पत्र

क्रमांक :–न.पा.शा. / 2017 / 663 दिनांक 26/4/17

1. भू स्वामी का नाम : **सुखी जीवन बिल्डकॉन एल.एल.पी.**

   जरिये पार्टनर श्री किशोर कुमार मीणा

2. भूखण्ड संख्या : **सुखी जीवन बिदारा–शाहपुरा**

3. भूखण्ड का क्षेत्रफल : आवासीय **15844.60** वर्गगज

4. वार्षिक शहरी जमाबन्दी की राशि : आवासीय **1,26,757 /–**

5. एक बारीय शहरी जमाबन्दी की राशि : **10,14,055 /–**

   (कालम 5 से 8 गुणा राशि)

उपरोक्त राशि रूपये **10,14,055 /–**रूपये अंके ही **दस लाख चौदह हजार पचपन रूपये** मात्र पटटा रसीद संख्या **98 / 462** दिनांक **25.04.2017** द्वारा जमा कराये गये। अतः भूखण्ड जिसकी लीड संख्या 663 दिनांक 26/4/17 को शहरी जमा बन्दी से मुक्त किया जाता है।

26/4/17

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका शाहपुरा (जयपुर)

उप पंजीयक
पं. मु. विभाग
शाहपुरा (जयपुर)

SITE PLAN OF KHASRA NO 890

AT VILLAGE - BIDARA, N.H. - 8 , SHAHPURA , JAIPUR
OWNER :- SUKHI JEEVAN BUILDCON LLP JARIYE
SHRI KISHOR KUMAR MEENA S/O SHRI SURJA RAM MEENA
AT VILLAGE - SOBHASAR, TEHSIL - SUJANGARH, CHURU, (RAJ.)

TOTAL AREA = 15844.60 KHASRA NO - 890

पत्रावली सं० 02/7/4/2017
पट्टा सं० 663/7/4/2017
संलग्न नक्शा ABCDE
अनुसार

Shyam Engineering Consultants Shahpura (Jaipur) Raj.

कार्यालय नगर पालिका शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

अध्यक्ष
नगर पालिका शाहपुरा
जिला–जयपुर (राज)

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका शाहपुरा
जिला–जयपुर (राज)

आज दिनांक 26 माह 07 सन् 2017 का
पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 274 के पृष्ठ सं. 30
क्रम संख्या 1711 पर पंजीबद्ध किया गया।
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1044
पृष्ठ संख्या 162/169 पर चस्पा किया गया।

उप पंजीयक
शाहपुरा (जयपुर)

उप पंजीयक * शाहपुरा (जयपुर) *

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : SHAHPURA

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 26-07-2017 1:58 PM

Fee Receipt No	:	201702075002112	Receipt Date	:	26/07/2017
Name	:	SUKHI JEEVAN BULDCON LLP\ KISHOR KUMAR MEENA,	Document S. No.	:	201701075002920
Address	:	0 ,NA ,SUJANGARH ,CHURU			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 253514	Evaluated Value	:	₹ 0
Ord-Registration Fee	:	₹ 3170	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 3180	Stamp Duty	:	₹ 15860
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 22510**
			Total Amount	:	**₹ 22510**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 0017997089 ₹ 21910 # Stamp N.A. ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR